#### **GOVERNMENT OF INDIA**



#### असाधारण EXTRAORDINARY

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	59]	दिल्ली, शनिवार, मार्च 30, 2019/चैत्र 9, 1941	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 768
No.	59]	DELHI, SATURDAY, MARCH 30, 2019/CHAITRA 9, 1941	[N.C.T.D. No. 768

भाग—IV PART—IV

# राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

## अधिसूचना

दिल्ली, 29 मार्च, 2019

फा. सं 1(545)/टीआरसी/एच एंड एफडब्ल्यू/2014/पार्ट फा./595.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 के कार्यालय ज्ञापन सं. फा. 24/78/68—डीएच (एस) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और फार्मासिस्ट भर्ती नियमों (2004), वरिष्ठ फार्मासिस्ट भर्ती नियमों (1967) तथा सहायक मुख्य फार्मासिस्ट भर्ती नियमों (1973) के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व हुई बातों या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा दिल्ली फार्मेसी सेवा (एलोपैथी) नियमावली, 2019 निबंधन एवं शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1959 DG/2019 (1)

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ**:—(क) इन नियमों को दिल्ली फार्मेसी समूह 'ख' तथा 'ग' सेवा (एलोपैथी) नियमावली, 2019 कहा जा सकेगा।
- (ख) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर:—उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण, वेतन समूह तथा ग्रेड पे/वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादिः—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. अयोग्यता:-ऐसा कोई भी व्यक्ति-
  - (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पित / पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या
  - (ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है। वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है / हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।
- 5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों / पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
- 6. बचाव:—इन विनियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

# अनुसूची

1.	पदनाम	:	फार्मासिस्ट
2.	पदों की संख्या	:	835 (2019) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतनमान	:	स्तर—5 (२९२००—९२३०० / –रुपये) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	27 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय)
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताऍ	:	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फार्मेसी (बी.फार्म) में स्नातक उपाधि या समकक्ष; तथा
			(2) फार्मेसी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत
			(3) चुने हुए अभ्यार्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के छह माह के भीतर दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में पंजीकरण करवाना आवश्यक है।
			टीप:—आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, (तथा यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब

			डिवीज़न, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीज़न व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है)।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	'ग' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचारार्थ)
			(1) प्रधान सचिव / सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—अध्यक्ष
			(2) विशेष सचिव (एच आर), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार–सदस्य
			(3) डीन, एमएएमसी या एमएस, एलएनएच/जीबीपीएच/ जीटीबीएच/डीडीयूएच/बीएसएएच, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।

1.	पदनाम	:	वरिष्ठ फार्मासिस्ट*
2.	पदों की संख्या	:	167 (2019) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	केन्द्रीय सामान्य सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतनमान		स्तर—6 (35400—112400 / —रुपये) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	लागू नहीं

T _	~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~	Ι	
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्घारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु– नहीं शैक्षणिक योग्यता–नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धित सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धितयों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नित द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है	Ī	पदोन्नित : ग्रेड में छह वर्षों की नियमित सेवा सहित स्तर-5 (29200-92300/-रुपये) में फार्मासिस्ट  टीप:- जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नित के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नित के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अविध के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा अविध अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ
			सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (किनष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नित सिमिति हो तो इसकी संरचना क्या है?		'ख' वर्गीय विभागीय पदोन्नित सिमिति (पदोन्नित पर विचारार्थ)  (1) प्रधान सिचव / सिचव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—अध्यक्ष  (2) विशेष सिचव (पैरामैडिकल), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—सदस्य  (3) डीन, एमएएमसी या एमएस, एलएनएच / जीबीपीएच / जीटीबीएच / डीडीयूएच / बीएसएएच, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—सदस्य  (4) उप—सिचव (पैरामैडिकल), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—सदस्य  'ख' वर्गीय विभागीय पदोन्नित सिमित (स्थायीकरण पर विचारार्थ)  (1) प्रधान सिचव / सिचव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—अध्यक्ष  (2) विशेष सिचव (पैरामैडिकल), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—सदस्य  (3) डीन, एमएएमसी या एमएस, एलएनएच / जीबीपीएच / जीटीबीएच / डीडीयूएच / बीएसएएच, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—सदस्य  (4) उप—सिचव (पैरामैडिकल), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—सदस्य  (4) उप—सिचव (पैरामैडिकल), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—सदस्य  (4) उप—सिचव (पैरामैडिकल), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।

<sup>\*</sup> कार्य विवरण / कर्तव्य / जिम्मेदारियाँ फार्मासिस्ट पद के अनुरूप या विभाग प्रमुख द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों के समान होंगी।

1.	पदनाम	:	सहायक मुख्य फार्मासिस्ट*
2.	पदों की संख्या	:	42* (2019)
			*इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।

	<u> </u>		
3.	वर्गीकरण	:	केन्द्रीय सामान्य सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय।
4.	वेतनमान	:	स्तर—7 (44900—142400 / —रुपये) सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार ।
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताऍ	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु– नहीं शैक्षणिक योग्यता–नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धित सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धितयों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्निति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेंड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है		पदोन्नति : ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा सहित स्तर—6 (35400—112400 / —रुपये) में विभागीय वरिष्ठ फार्मासिस्ट । टीप:— जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्तें कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा की अविध के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अविध अपने किनष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (किनष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नित सिमिति हो तो इसकी संरचना क्या है?		'ख' वर्गीय विभागीय पदोन्ति समिति (पदोन्ति पर विचारार्थ)  (1) प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—अध्यक्ष  (2) विशेष सचिव (पैरामैडिकल), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—सदस्य  (3) डीन, एमएएमसी या एमएस, एलएनएच/जीबीपीएच/जीटीबीएच/डीडीयूएच/बीएसएएच, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—सदस्य  (4) उप—सचिव (पैरामैडिकल), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—सदस्य  राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं।

<sup>\*</sup> कार्य विवरण / कर्तव्य / जिम्मेदारियाँ फार्मासिस्ट पद के अनुरूप या विभाग प्रमुख द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों के समान होंगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

# DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE NOTIFICATION

Delhi, the 29th March, 2019

- **No. F. 1(545)/TRC/H&FW/2014/Pt. File/595.** In exercise of the powers conferred under Article 309 of the Constitution of India read with Government of India, Ministry of Home Affairs O.M. No.24/78/68 –DH(S) dt 24.9.68, the Lt Governor of Delhi is pleased to make the following rules and in suppression of Pharmacist Recruitment Rules (2004), Senior Pharmacist Recruitment Rules (1967) and Assistant Chief Pharmacist Recruitment Rules (1973) except as respects things done or omitted to be done before such supersession regulating the terms and conditions of Delhi Pharmacy Service (Allopathy) Rules, 2019 namely:-
- 1. Short title and commencement: (1) These rules may be called the Delhi Pharmacy Group 'B' and 'C' Service (Allopathy) Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2.** Number of posts, classification and level in pay matrix: The number of the said post, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Schedule columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of Recruitment, age-limit, qualification, etc. :** The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule annexed to these rules.
- **4. Disqualification :** No person shall be eligible for appointment to the Service.
- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post, provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- **5. Power to relax :** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission/Departments, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving:** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

### **SCHEDULE**

(1) Name of the post	Pharmacist
(2) No. of posts	835(2019) Subject to variation dependent on workload.
(3) Classification	Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.
(4) Scale of pay	Level-5 (Rs. 29200-92300/-) as per 7 <sup>th</sup> CPC.
(5) Whether Selection post or Non-Selection post.	N.A.
(6) Age-limit for direct recruitment	Not exceeding 27 years (Relaxable for Govt. servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)
(7) Educational & other qualifications required for direct recruitment	(i) Bachelor Degree in Pharmacy (B. Pharm) from a recognized University or equivalent; and (ii) Registered as Pharmacist under the Pharmacy Act-1948. (iii) The Selected Candidate has to be registered in Delhi Pharmacy Council within six months of joining.  Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands & Lakshadweep.

N.A.
Two years
Direct Recruitment.
N.A.
N.A.
tal Promotion Committee (for considering
ry, H&FW Department, GNCTD – Chairman.
H&FW Department, GNCTD - Member.
S, LNH/GBPH/GTBH/DDUH/BSAH, H&FW
ber.
nion Public Service Commission not necessary.

(1) Name of the post	Senior Pharmacist*
(2) No. of posts	167 (2019) Subject to variation dependent on workload.
(3) Classification	GCS Group 'B', Non-Gazetted, Non-ministerial.
(4) Scale of pay	Level-6 (Rs. 35400-112400/-) as per 7 <sup>th</sup> CPC.
(5) Whether Selection post or Non-Selection post.	Selection
(6) Age-limit for direct recruitment	N.A.
(7) Educational & other qualifications required for direct recruitment	Not Applicable
(8) Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruitment will apply in the case of promotees.	Age-No, EQ- No
(9) Period of probation if any,	Two years
(10) Method of recruitment whether by direct	By Promotion.
recruitment or by promotion or by	·
deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	
(11) In case recruitment by	Promotion –
promotion/deputation/ transfer grade from which promotion/deputation/transfer to be	Pharmacist in Level 5 (Rs. 29200-92300/-) with six years regular service in the grade.
made.	<b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not considered provided they are not short of the requisite qualify-ing / eligibility by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service.

(12) If DPC exists, what is its composition	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering
	promotion):
	i) Pr. Secretary/Secretary, H&FW Department, GNCTD – Chairman.
	ii) Spl. Secretary (Paramedical), H&FW Department, GNCTD -
	Member.
	iii) Dean, MAMC or MS, LNH/GBPH/GTBH/DDUH/BSAH, H&FW
	Deptt., GNCTD - Member.
	(iv) Dy. Secretary(Paramedical), H&FW Deptt., GNCTD - Member.
	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering
	confirmation):
	i) Pr. Secretary/Secretary, H&FW Department, GNCTD - Chairman.
	ii) Spl. Secretary (Paramedical), H&FW Department, GNCTD -
	Member.
	iii) Dean, MAMC or MS, LNH/GBPH/GTBH/DDUH/BSAH,
	H&FW Deptt., GNCTD - Member.
	(iv) Dy. Secretary (Paramedical), H&FW Deptt., GNCTD - Member.
(13) Circumstances in which UPSC is to be	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
consulted in making recruitment	

<sup>\*</sup>Job profile nature of duties/responsibilities will be same as that of Pharmacists and / or as assigned by Head of department

(1) Name of the post	Assistant Chief Pharmacist*
(2) No. of posts	<b>42</b> (2019)
	Subject to variation dependent on workload.
(3) Classification	GCS Group 'B', Non-ministerial, Non-Gazetted.
(4) Scale of pay	Level-7 (Rs. 44900-142400/-) as per 7 <sup>th</sup> CPC.
(5) Whether Selection post or Non-Selection post.	Selection
(6) Age-limit for direct recruitment	NA
(7) Educational & other qualifications	Not Applicable.
required for direct recruitment	
(8) Whether age and educational Qualifications prescribed for the direct recruitment will apply in the case of promotees.	Age-No, EQ- No
(9) Period of probation if any,	Not applicable.
(10) Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By promotion.
(11) In case recruitment by	Promotion –
promotion/deputation/ transfer, grade from which promotion/deputation/transfer to be	Departmental Senior Pharmacist in Level 6 (Rs. 35400-112400/-) with five years regular service in the grade.
made.	Note: Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualify-ing/eligibility by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying / eligibility service.
(12) If DPC exists, what is its composition	Group -B, Department Promotion Committee (for considering promotion): i) Pr. Secretary/Secretary, H&FW Department, GNCTD - Chairman.

	ii) Spl. Secretary (Paramedical), H&FW Department, GNCTD – Member. iii) Dean, MAMC or MS, LNH/GBPH/GTBH/DDUH/BSAH, H&FW Deptt., GNCTD - Member. (iv) Dry Secretary (Paramedical), H&FW Deptt., GNCTD, Member.
(13) Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment	(iv) Dy. Secretary (Paramedical), H&FW Deptt., GNCTD - Member.  Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

<sup>\*</sup>Job profile nature of duties/responsibilities will be same as that of Pharmacists and / or as assigned by Head of department

By Order and in the Name of Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

AMIT KUMAR PAMASI, Dy. Secy. (HR-Para)